पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

परिचय:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उनके विशिष्ट महत्व को देखते हुए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति के कारण, भारत सरकार ने मुख्य रूप से अक्षय परियोजनाओं से भविष्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं/प्रोत्साहन तैयार किए हैं। 175 गीगावाट का बड़ा हिस्सा विशेष रूप से 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट की पवन ऊर्जा से आएगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा के लिए, राज्य नियामकों ने सौर और गैर-सौर श्रेणी दोनों के लिए अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) निर्धारित किए हैं, जो हर साल बढ़ेंगे।

31.03.2017 तक देश ने 57,245 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, जो कुल स्थापित क्षमता का लगभग 18% है। संसाधन-वार योगदान: पवन ऊर्जा का 32,280 मेगावाट है; सौर ऊर्जा का 12,289 मेगावाट; लघु जलविद्युत का 4,380 मेगावाट; बायोमास और को-जेन का 8,182 मेगावाट और अपशिष्ट से ऊर्जा का 114 मेगावाट।

पीएफसी ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है और वित्तपोषण कर रहा है जो नवीन पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर रहे हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास, समाज के सामाजिक उत्थान और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान हो रहा है।

पीएफसी ने एक 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति' तैयार और कार्यान्वित की है। कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) पहल को अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए पीएफसी के व्यवसाय संचालन को सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने की दृष्टि से जारी रखा गया था। इस तरह की पहल की पहचान करते हुए कंपनी ने ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण के संदर्भ में मापा गया समुदाय, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। पीएफसी पर्यावरणीय स्थिरता, पेयजल सुविधाएं, चुनिंदा गैर-विद्युतीकृत/खराब विद्युतीकृत गांवों में सौर स्मार्ट माइक्रो ग्रिड लाइट आदि सहित स्थिरता और विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में विभिन्न पहल कर रहा है।

फ्रेमवर्क अवलोकन:

ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क जलवायु बॉण्ड मानक संस्करण 2.1 के अनुसार स्थापित किया गया है (अधिक जानकारी के लिए https://www.climatebonds.net/standards/standard_download पर जाएं) और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार एसोसिएशन (आईसीएमए) द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड सिद्धांतों, 2016 का भी पालन करता है।

यह ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क (ढांचा) मोटे तौर पर पीएफसी के ग्रीन बॉण्ड से फंड जुटाने और उन जारी करने की आय का उपयोग अक्षय ऊर्जा में निवेश करने के लिए करता है और ऊर्जा दक्षता इस तरह से जो पीएफसी के स्थायी मूल्यों के अनुरूप हो।

<u>मुनाफे का उपयोग:</u>

भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है जो विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए वित्तीय रणनीति विकसित कर रहे हैं। अक्षय क्षेत्र में, बड़े निवेशक परिचालन परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कर रहे हैं जो अपेक्षाकृत तनाव मुक्त हैं और कर कुशल तरीके से निवेशकों को अधिशेष नकदी प्रवाह को वापस करने में सक्षम हैं। कम अवधि को ध्यान में रखते हुए, हरित ऊर्जा परियोजनाओं में संचालन के पहले वर्ष के भीतर राजस्व उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा, ईंधन पर कोई निर्भरता नहीं है और सरकार द्वारा अक्षय क्षेत्र के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

पीएफसी द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त राशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं ("पात्र ग्रीन प्रोजेक्ट्स") को ऋण देने के लिए किया जाएगा। जलवायु बॉण्ड मानक के तहत क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी मानदंडों की उपलब्धता के अधीन पात्र हरित परियोजनाओं में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल होंगे::

(क) अक्षय ऊर्जा

- ✓ सौर ऊर्जा - फोटोवोल्टिक सौर बिजली, केंद्रित सौर ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण, पारेषण;
- ✓ पवन ऊर्जा - अपतटीय और तटवर्ती पवन फार्म, अवसंरचना और विनिर्माण, पारेषण;
- ✓ बायोएनेर्जी - नवीकरणीय फ़ीड स्टॉक, बुनियादी ढांचा और विनिर्माण, नेटवर्क;
- ✓ हाइड्रोपावर - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रन ऑफ़ रिवर और छोटे हाइड्रो;
- ✓ जियोथर्मल - जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल हीट पंप (जीएचपी) तकनीक;
- ✓ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा - समुद्र और महासागर से प्राप्त ऊर्जा स्रोत;
- ✓ ऊर्जा वितरण और प्रबंधन - पारेषण और ग्रिड अवसंरचना, स्मार्ट सिस्टम/मीटर, ताप प्रबंधन;
- ✓ ऊर्जा भंडारण - हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम, थर्मल हीट स्टोरेज, नई प्रौद्योगिकियां।

(ख) ऊर्जा दक्षता

- ✓ ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी / उत्पाद निर्माण और आपूर्ति - परिचालन कार्य-निष्पादन विशेष प्रयोजन के उत्पादों को पहचान देगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि भवन उद्योग मेट्रिक्स को पूरा करते हैं;
- ✓ ऊर्जा कुशल प्रक्रियाएं / प्रणालियां;
- ✓ सह-उत्पादन/त्रि-जनरेशन/संयुक्त ताप और शक्ति;
- ✓ अपशिष्ट गर्मी वसूली;
- ✓ विद्युत वाहन

उपरोक्त दो या दो से अधिक प्रौद्योगिकियों का संयोजन जिन्हें हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है, जहां परियोजनाएं उचित नियामक अनुमोदन के बाद स्थापित की जा रही हैं।

<u>योग्य हरित परियोजनाओं का चयन और मूल्यांकन:</u>

पीएफसी परियोजना मूल्यांकन और इकाई (प्रवर्तक) मूल्यांकन पर केंद्रित दिशानिर्देशों के परिभाषित सेट के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। भारत जीवाश्म ईंधन ऊर्जा परियोजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, आज सरकार का ध्यान हरित ऊर्जा पर है। इन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएफसी में प्रत्येक क्षेत्र अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विशेष

जोर दे रहा है। चूंकि पीएफसी के पास प्रत्येक राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता की पूरी जानकारी है और इसकी स्थापना के बाद से प्रत्येक राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा है, इन परियोजनाओं की छोटी अवधि को ध्यान में रखते हुए अक्षय परियोजनाओं का तेजी से मूल्यांकन किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र के लिए परियोजना वित्तपोषण प्रस्ताव ऋणकर्ताओं से प्राप्त होते हैं और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार एक दो चरण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल होता है जिसके माध्यम से अंतिम मंजूरी से पहले विस्तृत मूल्यांकन के बाद प्रस्ताव को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करता है जबकि विस्तृत मूल्यांकन चरण के दौरान गहन विश्लेषण किया जाता है।

प्रोजेक्ट डिवीजन प्रोजेक्ट की टेक्नो फाइनेंशियल वायबिलिटी का विश्लेषण करता है और एंटिटी डिवीजन प्रमोटर और ऋणकर्ता की ताकत की जांच करता है। परियोजना ग्रेडिंग के लिए मापदंडों को दो सेटों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक पैरामीटर में उत्पादन की लागत, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) शामिल है और गुणात्मक मानकों में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार की ताकत, ऑफटेकर का जोखिम, संसाधन मूल्यांकन, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) ठेकेदार की शक्ति इत्यादि शामिल हैं। इकाई ग्रेडिंग प्राप्त की जाती है अपफ्रंट इक्विटी, आनुपातिक इक्विटी, मौजूदा व्यवसाय, इक्विटी जुटाने की क्षमता, वित्तीय ताकत आदि के आधार पर इकाई की रेटिंग। एकीकृत रेटिंग परियोजना ग्रेडिंग और इकाई ग्रेडिंग के एक परिभाषित मैट्रिक्स के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, पीएफसी उपयोगिता रेटिंग और परियोजना व्यवहार्यता के आधार पर विभिन्न राज्य क्षेत्र की आरई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

उपरोक्तानुसार पीएफ़सी द्वारा स्वीकृत सभी नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को योग्य हरित परियोजना माना जाएगा और उनके संवितरण को ग्रीन बॉण्ड जारी करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

जारी होने के बाद, स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापनकर्ता यह आश्वासन प्रदान करेगा कि नामांकित परियोजनाएं उद्घाटन ग्रीन बॉण्ड मुद्दे के लिए ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।

बाद में ग्रीन बॉण्ड जारी करने या परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में परिवर्तन के संबंध में, पीएफसी द्वारा समान मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया की जाएगी।

<u>आय का प्रबंधन:</u>

आय को पुनर्वित्त और नई योग्य हरित परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवंटित किया जाएगा।

ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग योग्य हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसे 'ग्रीन पोर्टफोलियो' कहा जाएगा। पीएफसी के पास एकीकृत पावर फाइनेंसिंग सिस्टम / एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम (आईपीएफएस / ईआरपी) के माध्यम से एक अच्छी तरह से रखी गई आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली है जिसका उपयोग ऐसे हरित पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना और लेखा के लिए किया जाएगा, जो नियमित रूप से होगा। पुनर्वित्त या चुकाए गए ऋण और आय से आवंटित नए ऋण को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया।

पात्र हरित परियोजनाओं के लिए पूर्ण आवंटन लंबित होने पर, जारी करने की शेष राशि का निवेश या आवंटन, जैसा उपयुक्त हो, चालू खाते में, कॉर्पोरेट सावधि जमा / वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा, ऋण म्यूचुअल फंड की इकाइयों या कंपनी के निवेश के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की अनुमति है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक या किसी वैधानिक निकाय की नीति, लागू दिशानिर्देश।

रिपोर्टिंग:

पीएफसी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड के माध्यम से पीएफसी के प्रत्येक ग्रीन बॉण्ड जारी करने के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार जानकारी के माध्यम से आय के उपयोग की रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट पीएफसी की वेबसाइट (http://www.pfcindia.com/) पर भी प्रकाशित की जाएगी।

आश्वासन:

पीएफसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क इसकी वेबसाइट (http://www.pfcindia.com/) पर प्रकाशित किया जाएगा। पीएफसी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेम वर्क की समीक्षा स्वतंत्र थर्ड पार्टी व्यूअर द्वारा की जाएगी और ग्रीन बॉण्ड इश्यू के लिए क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

पीएफसी जारी करने के बाद स्वतंत्र तीसरे पक्ष के दर्शक द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए जलवायु बॉण्ड पहल से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा कि आय आवंटन का उपयोग, परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की चल रही पात्रता, पर्याप्तता और जारीकर्ता के आउटपुट आंतरिक नियंत्रण और सिस्टम और अभी तक आवंटित नहीं की गई धनराशि का उपयोग स्थापित ढांचे के अनुसार है। बॉण्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर जारी करने के बाद प्रमाणन पूरा हो जाएगा।